न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–86 / 2022

1. मोहनी पत्नी सुल्तान जाति जाट निवासी लाडेरा तसहील लूनकरनसर हाल चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकनेर
2. नानूराम पुत्र चोथूराम जाति चमार निवासी आसलखेडी तहसील व जिला चुरु हाल चक 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थीगण

1. शमा बेगम पत्नी मोहम्मद अख्तर पुत्र अब्दुल गफार जाति मुसलमान निवासी व्यापारियों का मौहल्ला, बीकानेर
2. सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिः बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :13.12.2022**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व तहसील खाजवूाला का चक 7 एसएसएम का मुरब्बा सं0 47/55 के किला नं0 14 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 2.5290 है0 व प्रार्थी सं0 2 के नाम से मुरब्बा सं0 47/56 के किला नं0 1 ता 13 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 14/1 में 0.2276 है0, 15/1 में 0.2276 है0 कुल 3.7429 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी सं0 1 के उक्त रकबा के चिपता अप्रार्थी सं0 1 का मुरब्बा सं0 47/47 के किला नं0 1/2 में 0.2023 है0, 2, 3 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 4/2 में 0.1265 है0, 5, 6 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 7/2 में 0.1265 है0, 8 में 0.2529 है0, 9 में 0.2529 है0, 10/2 में 0.2023 है0, 11/2 में 0.2023 है0, 12 में 0.2529 है0, 13/2 में 0.1644 है0, 14/2 में 0.2150 है0, 15 ता 17 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/2 में 0.1265 है0, 19 में 0.2529 है0, 20/2 में 0.2023 है0, 21/2 में 0.2023 है0, 22/2 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.1518 है0, 24 में 0.2529 है0, 25 में 0.2529 है0 कल 5. 4375 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के स्वंय के नाम के रकबा में आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि में आने–जाने व कृषि भूमि में काश्त करने के लिए ट्रैक्टर आदि साधन लाने के लिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से मु0नं0 47/47 के किला नं0 1 ता 25 में कुल 5.4375 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि के किला नं0 24, 25 प्रार्थी सं0 1 के रकबा के किला सं0 21 व प्रार्थी सं0 2 के रकबा के किला नं0 1 के चिपता है। प्रार्थी सं0 1 की भूमि मुरब्बा 47/55 के किला नं0 21 में प्रवेश व प्रार्थी सं0 2 की भूमि मुरब्बा नं0 47/56 के किला नं0 1 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थी सं0 1 की भूमि मुरब्बा सं0 47/47 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 4.00 बिस्वा भूमि रास्ता मन्जूर कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/रीडर/2022/2417 दिनांक 12.10.2022 प्राप्त हुई जिसके अनुसार 7 एसएसएम का मुरब्बा सं0 47/55 के किला नं0 14 ता 18, 21 ता 25 प्रत्येक में 0. 2529—0.2529 है0 कुल 2.5290 है0 कृषि भूमि मोहनी पत्नी सुल्तान जाति जाट खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त मुरब्बे के पश्चिमी मु0नं0 47/47 के किला नं0 4 में 10 बिस्वा, 7 में 10 बिस्वा, 13 में 7 बिस्वा, 14 में 3 बिस्वा, 18 में 10 बिस्वा, 22 में 2 बिस्वा, 23 में 8 बिस्वा कुल 2.10 बीघा में मौका पर रिकॉर्ड अनुसार सड़क (दन्तौर खाजूवाला) गुजरती है। प्रार्थीया मोहनी पत्नी सुल्तान को अपने खेत में आवागमन के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपने खेत में आवागमन के लिए मु0नं0 47/47 के किला नं0 24, 25 में 2—2 बिस्वा रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो प्रार्थीया किला नं0 23 में स्थित सड़क से किला नं0 24, 25 में दक्षिण की ओर 2—2 बिस्वा रास्ते के रूप में उपयोग कर अपने खेत में आवागमन कर सकेगी।

अदालत द्वारा तहसीलदार खाजूवाला की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट आ जाने के बाद बहस सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गौर करने के बाद अदालत का यह फैसला है कि मुरब्बा नंबर 47/47 के किला नं0 24, 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा नया रास्ता स्वीकार किया जाना जायज है।

अदालत के फैसले के पीछे निम्न वजह है प्रार्थीगण का कहना है कि वर्तमान में अपनी कृषि भूमि चक 7 एसएसएम मुरब्बा नंबर 47/55 व 47/56 में प्रवेश हेतु अप्रार्थी सं0 1 मुरब्बा नं0 47/47 के किला नं0 24, 25 में से 2—2 बिस्वा वांछित रास्ता नजदीकी, सुगम व एकमात्र रास्ता है और तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट द्वारा भी इस तथ्य की तस्दीक की गई है इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बा नंबर 47/47 के किला नं0 24 व 25 में 2—2 बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रकबे की दोगुना डीएलसी जमा करवा कर इस रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर दर्ज करें अप्रार्थी सं0 1 फैसले के 30 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति राशि हासिल कर सकते हैं नहीं तो राशि अमानत मद में जमा करा दी जाए।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)